1. घीसालाल पिता कालू जी गूर्जर निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
2. कैलाशचन्द्र पिता घीसा जी गूर्जर निवासी मडावदा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
2. प्रभूलाल पिता मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
3. खेमराज पिता मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
4. सोहनलाल पिता मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
5. लालीबाई पिता मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
6. सुगनाबाई पिता मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
7. सम्पतीबाई पिता मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
8. धापुबाई पत्नी मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
9. रामचन्द्र पिता औंकारलाल जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
10. श्रीमती चतरीबाई पत्नी स्व0 देवीलाल जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
11. भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :: श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक : 22.12.2020

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री द्वारा वाद अ.धा. 53 राजस्थान काश्त. अधिनियम के तहत प्रस्तूत कर निवेदन इस प्रकार से किया गया कि ग्राम मडावदा प.ह. ऑवलहेडा की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2071 से 74 खाता संख्या 49 में आराजी संख्या 242 रकबा 0.800 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का हिस्सा 3/4 एवं प्रतिवादी सं0 1 से 8 तक का हिस्सा 1/14 अंकित एवं निहित है। ग्राम मडावदा प.ह. ऑवलहेडा की वर्तमान जमाबंदी सं0 2071 से 74 में खाता संख्या 50 में आराजी संख्या 241 रकबा 1.0600 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी क्रमांक 1 घीसालाल का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी सं0 9 का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा 1/4 अंकित निहित है।

यह कि उक्त कलम सं0 1 व 2 में वर्णित आराजीयात मौके पर आपस में मिली हुई होकर एक चक है। वादी क्रमांक 1 व 2 पिता पुत्र है व दोनो का मौके पर संयुक्त कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार एवं उपर वर्णित हिस्सानुसार मौके पर कब्जा काश्त होकर सभी के उपयोग उपभोग में है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजीयात का विधिवत मीट्स एण्ड बाउन्डस में हिस्सा विभाजन नहीं होने से फसल काटने एवं बौने के समय आये दिन विवाद होता रहा है जिसके स्थाई समाधान हेतू वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 17.09.2018 को आराजीयात का तहसील कार्यालय में चलकर [illegible] एण्ड बाउन्डस में विभाजन प्रस्ताव बना आपसी सहमति से विभाजन [illegible] प्रस्ताव रखा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादीगण को यह [illegible] विधि अनुसार अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी दर्ज [illegible] बटवाडा प्रस्तूत करने की आवश्यकता हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:44:26 IST
Reason: SelfAttested

वाद कारण दिनांक 17.09.2018 को प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से विभाजन किये जाने से इंकार किये जाने उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है, प्रतिवादी संख्या 11 भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से वाद मे उन्हे

सहायक कलेक्टर

मडावदा प0ह0 ऑवलहेडा की आराजी संख्या 242 रकबा 0.8000 हैक्टर भूमि में वादीगण का दर्ज हिस्सा 3/4 का वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 से 8का 1/4 हिस्सा एवं कलम सं0 2 में वर्णित आराजी संख्या 241 रकबा 1.0600 हैक्टर भूमि में वादी क्रमांक 1 का दर्ज हिस्सा 1/2 का वादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी सं0 9,10 के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

ब– अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तूत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण न्यायालय में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध वादपत्र में एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये तथा पत्रावली में एक तरफा वादी साक्ष्य ली गई, वादी साक्ष्य हेतू शपथ पत्र वादी घीसालाल पिता कालू गुर्जर के प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 13.01.2020 को वादी घीसालाल के बयान कलमबद्ध करते हुए पत्रावली में प्रस्तूत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए वादी के बयान पूर्ण कराये गये। पत्रावली में वादी की एक तरफा साक्ष्य पूर्ण होने पर अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस पत्रावली पर सुनी गई जिन्होने मौजा मडावदा की वाद वर्णित आराजीयात का खाते में दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउन्ड्स अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया।

पत्रावली पर बहस अधिवक्ता वादीगण की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तूत दस्तावेज नकल जमाबंदी मौजा मडावदा सं 2071 से 2074 तक में दर्ज खाता संख्या 49 में अंकित आराजी संख्या 242 रकबा 0.8000 हैक्टर भूमि का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि वादी घीसालाल पिता कालु व कैलाशचन्द्र पिता घीसा का हिस्सा 3/4 दर्ज है तथा मांगीलाल प्रभूलाल खेमराज सोहनलाल लालीबाई सुगनाबाई सम्पतीबाई पिता मेघा धापूबाई पत्नि मेघा का हिस्सा 1/4 दर्ज है। इसी प्रकार मौजा मडावदा की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया जाने पर पाया कि खाता संख्या 50 में दर्ज आराजी संख्या 241 रकबा 1.0600 हैक्टर भूमि में वादी घीसालाल पिता कालू गुर्जर का 1/2 हिस्सा औंकर पिता बालू 1/4 देवीलाल पिता नंदा 1/4 खातेदार दर्ज अंकित है। जमाबंदी में विरासत से औकार के बजाय सीताबाई रामचन्द्र पिता औंकार दर्ज होने का अंकन है तथा हकत्याग से सीताबाई का हिस्सा रामचन्द्र के पक्ष में दर्ज किये जाने का अंकन है। देवीलाल पिता नंदा के बजाय जगदीशचन्द्र सुगना पार्वती पिता देवीलाल चतरीबाई प.स्व. देवीलाल का विरासत से नाम दर्ज किये जाने का अंकन किया हुआ है। हक त्याग से सुगना पार्वती व चरीबाई का हिस्सा जगदीशचन्द्र पिता देवीलाल के नाम दर्ज किया जाने का अंकन किया है।

प्रस्तूत दस्तावेज के अवलोकन से पाया जाता है कि वादीगण अपने हिस्से की आराजी का विभाजन करा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री [illegible] जाने योग्य पाया जाने से दिनांक 11.02.2020 को निम्न प्रकार [illegible] किया गया :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:44:26 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण का [illegible] 53 [illegible] काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक [illegible] जाता है, मौजा मडावदा के खाता संख्या 49 में दर्ज आराजी संख्या 242 रकबा 0.08000 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 3/4 व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तक का हिस्सा 1/4 अनुसार तथा मौजा मडावदा के खाता संख्या 50 में अंकित आराजी संख्या 241 रकबा 1.0600 हैक्टर भूमि में वादी क्रमांक 1 घीसालाल का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी सं0 9 का हिस्सा 1/4 प्रतिवादी सं0 10 का हिस्सा 1/4 अनुसार

-----लगातार

आराजी का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार विभाजन किया जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 1000/—रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार, बेगूँ को उपरोक्त आराजीयात के फर्दबंटवारा प्रस्ताव किया जाने एवं फर्द बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ न्यायालय में भिजवाने हेतू प्राथमिक डिक्री की प्रति भिजवाई जाकर प्रस्ताव तलब किये जावें।

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार, बेगूँ को लिखा जाकर फर्द बंटवारा रिपोर्ट तलब की गई। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार, बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक 700 दिनांक 13.10.2020 के साथ रिपोर्ट भू0अ0नि0 काटून्दा, नक्शाट्रेस व पर्चामौका फर्द बंटवारा रिपोर्ट पत्रावली में प्रस्तुत की गई , प्रस्तुत रिपोर्ट पर बहस अधिवक्ता वादी की एक तरफा ध्यानपूर्वक सुनी गई अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत की गई फर्द बंटवारा रिपोर्ट को प्राथमिक डिक्री अनुसार होना बताते हुए उसे स्वीकार किया है। चूंकि पत्रावली में न्यायालय निर्णय की पालना में वाद वर्णित आराजीयात का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हो चुका है जो सही होने से वाद वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है मौजा मडावदा प0ह0 ऑवलहेडा की वाद वर्णित आराजी का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार किया जाता है :—

1. घीसालाल पिता कालू, कैलाशचन्द्र पिता धीसा गुर्जटर निवासी मडावदा के खाते में :—

खाता संख्या	आराजी सं0	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
49	242 में	0.60	जाव 2,0.03	0.41
			चाही 2,0.57	15.90
	1	0.60		16.31

2. मांगीलाल, प्रभूलाल, खेमराज, सोहनलाल, लालीबाई, सुगनाबाई, सम्पतीबाई पिता मेघा ,धापूबाई पत्नि मेघा धाकड नि0 मडावदा के खाते में :—

खाता संख्या	आराजी सं0	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
49	242 में	0.20	चाही2	5.58
	1	0.20		5.58

उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाता राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:44:26 IST
Reason: SelfAttested

(मनीष कुमार जाटव)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

1. घीसालाल पिता कालू जी गूर्जर निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
2. कैलाशचन्द्र पिता घीसा जी गूर्जर निवासी मडावदा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
2. प्रभूलाल पिता मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
3. खेमराज पिता मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
4. सोहनलाल पिता मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
5. लालीबाई पिता मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
6. सुगनाबाई पिता मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
7. सम्पतीबाई पिता मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
8. धापुबाई पत्नी मेघा जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
9. रामचन्द्र पिता औंकारलाल जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
10. श्रीमती चतरीबाई पत्नी स्व0 देवीलाल जी धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
11. भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 22.12.2020 को पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जाटव सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादीगण का अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है मौजा मडावदा प0ह0 ऑवलहेडा की वाद वर्णित आराजी का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार किया जाता है :–

1. घीसालाल पिता कालू, कैलाशचन्द्र पिता धीसा गुर्जटर निवासी मडावदा के खाते में :–

खाता संख्या	आराजी सं0	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
49	242 में	0.60	जाव 2,0.03	0.41
			चाही 2,0.57	15.90
	1	0.60		16.31

2. मांगीलाल, प्रभूलाल, खेमराज, सोहनलाल, लालीबाई, सुगनाबाई, सम्पतीबाई पिता मेघा ,धापूबाई पत्नि मेघा धाकड नि0 मडावदा के खाते में :–

खाता संख्या	आराजी सं0	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
49	242 में	0.20	चाही2	5.58
	1	0.20		5.58

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:44:26 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्तानुसार वादीगण एव प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 22.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

(मनीष कुमार जाटव)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

196
22.12.20

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को मय नक्शाट्रेस के साथ अंतिमत डिक्री की पालना हेतु भिजवाई जाती है।

-----लगातार